

पुस्तक,

श्री सत्येन्द्र सिन्हा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

शेवा में,

सचिव,
राज्य शासन विभाग परिषद,
कक्षा-2, मन्दायक भवन,
पीप्लू विहार, नई दिल्ली ।

दिनांक 171 अनुमान

समाप्त दिनांक 20 जुलाई, 2000

विषय:- जी० पी० वी०एम० एड्स मोनोनायु, नमदीती को ती०बी०एस० नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु उपाययुक्त प्रस्ताव का ज्ञान ।

संदेह,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र मिले का निर्देश हुआ है कि जी० पी० वी० एड्स मोनोनायु नमदीती को ती०बी० एस० नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु उपाययुक्त प्रस्ताव का ज्ञान में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अर्थात् उपाययुक्त नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत होलायटी का समय समय पर नवीनीकरण कार्य वापस ।
- 121 विद्यालय की संरक्षक कमिटी में शिक्षक निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होना ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 युवागत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहें और उनके 30 50 राज्यपाल विद्या परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित गुरुक में अधिक गुरुक नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जमा केलिए शिक्षा परिषद से मांगना प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षा परिषद/कॉलेज कार टि इन्डियन स्कूल सर्विसेज द्वारा निर्धारित नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा सब से उपर केन्द्रीय परीक्षा की सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से 30 50 राज्यपाल शिक्षा परिषद द्वारा मुदत मांगना तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रचना का ही कार्य ।

151 संस्था की शिक्षा परिषद निर्देशक द्वारा निर्धारित की राजकीय सम्बन्धित प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कक्षाओं को अनुसूचित जातियों तथा अन्य वर्गों के अर्थव्यवस्था तथा अन्य कार्य नहीं लिये जायेंगे ।

161- समझौते के भी तहत एनडी कोर्टों और उच्च न्यायालयों द्वारा
प्रतिवर्षीय 30 करोड़ व्ययों के अभाव में उच्च न्यायालयों द्वारा
का साथ उच्च न्यायालयों को न्याय देना ।

171- राज्य सरकार द्वारा तब तक पर भी अदालत निर्माणाधीन न्याय
तैयार करना बाल करने ।

181- विद्यमान का निर्माण न्याय निर्माणों में देना चाहिए ।

191- उच्च न्यायालयों में राज्य सरकार के प्राधिकारों के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाना ।

2- उच्च न्यायालयों का बाल करना संस्था के निम्न अन्वेषणों द्वारा और
यदि किसी तरह यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उच्च न्यायालयों का बाल
नहीं किया जा रहा है उच्च न्यायालय करने में किसी भी प्रकार की वृद्धि या
निर्माणों वाली जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय निर्माण
यह वास्तव में किया जाना ।

भारतीय,

। सर्वोच्च न्यायालय ।
निर्माण न्याय ।

पुणे-2365111/15-7-2000, न्याय निर्माणों

- 1- पुणे निर्माण, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ।
- 2- भारतीय संघ द्वारा निर्माण, महाराष्ट्र ।
- 3- विना व्ययों के निर्माण, कर्नाटक, गुजरात ।
- 4- उच्च भारतीय न्यायालय 2020, महाराष्ट्र ।
- 5- पुणे, उच्च न्यायालय 2020, महाराष्ट्र, गुजरात ।

भारत में,
KVN
। सर्वोच्च न्यायालय ।
निर्माण न्याय ।